राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 11.09.2017 से 15.09.2017 तक ‘‘इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज’’ विषय पर पांच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 05 निरीक्षक पुलिस एवं 25 उप निरीक्षक पुलिस स्तर के कुल 30 अधिकारियों ने भाग लिया।

“Investigation of Economic Offences”
Rajasthan Police Academy, Jaipur
11.09.2017 to 15.09.2017

Sitting Row L to R = Sarita Bishnoi, Veena Loth, Saroj Kuntal, Rajendra Singh, Sanjeev Nain Addl.S.P, **Rajeev Dasot, IPS (Addl DGP Cum Director)**, Dilip Saini Addl.S.P, Saroj Choudhary, Leela Choudhary, Pinkee Sejwal, Premlata Verma
Ist Row L to R = Dhola Ram, Pankaj Kumar, Mahesh Kumar Bishnoi, Rakshit kothari, Nitin Dave, Praveen Rajpurohit, Manish Soni, Ram kishan Godara, Babu Lal Regar, Bawan Singh, Morpal, Pinky Sharma
IInd Row L to R = Sunil Sharma, Ramesh Dhaka, Somkaran Charan, Shyam Sunder, Mansi Ram Bishnoi, Rajpal Singh, Lokendra Singh, Chimana Ram, Bhara Singh Rajpurohit, Roop Singh, Radheshyam

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री एम.एम.अत्रे, आई.जी.पी.(सेवानिवृत्त) ने धोखाधड़ी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग आदि के अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए अनुसंधान के दौरान ली जाने वाली साक्ष्य तथा ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताया। श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की।

श्री उत्पल गांगुली, मैनेंजर, डी.एन.बी.एस., रिजर्व बैंक, जयपुर ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और यू.आई.बी. के द्वारा जमा की स्वीकृति निषेध पर व्याख्यान दिया। श्री दिलीप सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरपीए, जयपुर ने केस स्टडीज ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट ने बैंकिंग सिस्टम का सामान्य परिचय, ऑनलाईन बैंकिग अपराधों

के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया।

श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस ने मोबाइल एवं कम्प्यूटर की सहायता से आर्थिक अपराधों के अनुसंधान के बारे में एवं केस स्टडी पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री आर.सी.शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आर्थिक अपराधों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण के बारे में बताया। श्री अशोक गुप्ता, डी.सी.पी. (पश्चिम), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने केस स्टडी ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

श्री आर.एस. बत्रा, आर.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा जमीन संबंधी विवादों के संबंध में व्याख्यान दिया। श्रीमती ज्योती शर्मा, डिप्टी जनरल मैनेंजर सेबी ने सुरक्षा बाजार की बुनियादी अवधारणा, सेबी द्वारा जांच व प्रवर्तन एवं गैर कानूनी व्यापार और धन जुटाने की अवैध योजना पर व्याख्यान दिया। श्री हेमन्त नाहटा, एडवोकेट जयपुर ने विमुद्रीकरण का वर्तमान परिपेक्ष्य में क्या प्रभाव है और आर्थिक अपराधों में इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी।

श्री निशीथ दीक्षित, अधिवक्ता ने ऑनलाईन बैंकिग अपराधों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। श्री विवेक श्रीवास्तव, अधीक्षक सेन्ट्रल कस्टम एण्ड सर्विस टैक्स डिपार्टमेन्ट, जयपुर ने मनी सर्कुलेशन एवं मनी लॉण्डरिंग के क्षेत्र में संगठित अपराधों के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री बीजू जार्ज जोसफ, महानिरीक्षक पुलिस, ए.टी.एस., जयपुर ने संगठित अपराधों की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में बताया एवं प्रतिभागियों को प्रमाण-प्रत्र वितरित किये।